

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0-6/एन0-15-43/2024

/पटना-15, दिनांक-

श्रीमती फुलेश्वरी देवी, ए0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीनगर, पूर्णियाँ को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0) सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190, दिनांक-27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वयं के बिमारी के कारण आदेश निर्गत तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात श्रीमती फुलेश्वरी देवी के सेवाकाल में यदि कोई सेवा अवधि अविनियमित रही हो तो उसके विनियमन का दावा विभाग में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2-श्रीमती फुलेश्वरी देवी भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

ह0/-

(डा0 बिपिन कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 6/एन0-15-43/2024 215(6)

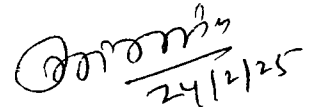
पटना, दिनांक:- 24/02/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्रीमती फुलेश्वरी देवी, ए0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीनगर, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।